okf"kd ifronu

2008-09

ik/kk fdLe vkj d"kd vf/kdkj lj{k.k ikf/kdj.k

df"k ,o lgdkfjrk foHkkx

df"k e=ky;

Hkkjr ljdkj

fof'k"V lkjk'k

सन् 2005 में स्थापित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) अपने अधिदेश को पूरा करने में कार्यरत् है तथा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2008–09 के दौरान प्राधिकरण के विभिन्न क्रियाकलापों और उपलब्धियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण को 18 अधिसूचित फसलों के पंजीकरण के लिए 460 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 171 आवेदन कपास, मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मटर, राजमा तथा पटसन की नई किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत दाखिल किए गए थे। भा.कृ.अ.प. तथा सार्वजनिक क्षेत्र की विद्यमान (एक्सटेंट) किस्मों से संबंधित कुल 286 आवेदनों पर कार्रवाई की गई। पीपीवी और एफआरए की विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति ने विद्यमान किस्मों के आवेदनों की विस्तृत जांच के पश्चात 233 किस्मों को पंजीकरण के लिए स्वीकृत किया। इनमें से नौ फसल प्रजातियों की 40 विद्यमान किस्मों का पंजीकरण कर प्रमाण पत्र उनके आवेदकों को 12 फरवरी 2009 को भारत सरकार के माननीय कृषि एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री श्री शरद पवार ने प्रदान किए। नई पौधा किस्मों एवं विद्यमान किस्मों के अतिरिक्त चावल की तीन कृषक किस्में नामतः इंद्रासन, हंसराज और तिलक चंदन के मूल्यांकन एवं पंजीकरण पर भी विचार किया गया। इन किस्मों को उगाने से संबंधित परीक्षण हैदराबाद स्थित चावल अनुसंधान निदेशालय तथा कटक स्थित केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में किए जा रहे हैं।

फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण करने हेतु दिशानिर्देशों की आलोचनात्मक समीक्षा करने तथा उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सात कार्यदल गठित किए गए थे। इन्होंने गन्ना (*सैकरम् प्रजातियां*), अदरक (*जिंजिबर ऑफसिनेलिस*) तथा हल्दी (*करक्यूमा लॉन्गा*) के विवरण को अंतिम रूप दिया है और इन प्रजातियों को किस्म पंजीकरण के उद्देश्य से राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इसी प्रकार गुलाब, गुलदाउदी, कुछ औषधीय एवं सगंधित पौधों तथा आम के लिए दिशानिर्देश सभी तकनीकी दृष्टियों से पूर्ण कर लिए गए हैं।

डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं (भौतिक तथा उपस्कर आदि) को इस दृष्टि से और सबल बनाया गया कि परीक्षणों को परिशुद्ध स्तर पर विश्वसनीयता से सम्पन्न किया जा सके। इससे 2008–09 के खरीफ और रबी मौसम के दौरान 61 डीयूएस परीक्षणों को सुचारू रूप से सम्पन्न करने में सहायता मिली। प्राधिकरण द्वारा गठित निगरानी दल ने संदर्भ किस्मों के साथ–साथ इन किस्मों के जिन गुणों का दावा किया गया है उनकी अभिव्यक्ति के भौतिक रूप से सत्यापन के लिए विभिन्न डीयूएस परीक्षण केन्द्रों पर दौरा किया। विशेषज्ञ दल के भ्रमण से संबंधित सूचना को प्राधिकरण की वेबसाइट पर डालकर इसका व्यापक प्रचार किया गया ताकि पादप प्रजनक निगरानी के कार्य में शामिल हो सकें और किए जाने वाले परीक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकें।

प्राधिकरण ने वन वृक्षों, औषधीय पौधों, मसालों तथा रोपण फसलों की किस्मों के पंजीकरण हेतु पहले से आवश्यक उपाय किए हैं। वन आनुवंशिक तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर तथा कागज उद्योग के अनेक वृक्ष प्रजनक *यूकेलिप्टस* तथा *कैसुआरीना* के क्लोन विकसित करने में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने इन वृक्षों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए एक परियोजना को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत आईटीसी पेपर यूनिट, भद्राचलम के सहयोग से इन वृक्षों का क्षेत्र मूल्यांकन किया जा रहा है। औषधीय पौधों नामतः पिपर मिंट (*मेंथा अर्वेन्सिस*), गुलाब (*रोज़ा डेमस्केना*), ब्रह्मी (*बेकोपा मोनेइरी*), सदाबहार (*कैथारेंथस रोजियस*) तथा अश्वगंधा (*विदानिया सोम्नीफेरा*) के विवरण सीआईएमएपी, लखनऊ द्वारा तैयार किए गए। इस केन्द्र ने इन प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण सम्पन्न करने तथा इनकी प्रजातियों के रखरखाव के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं सृजित की हैं। आनंद स्थित राष्ट्रीय औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान केन्द्र, भारतीय इसबगोल (*प्लैंटेगो ओवाटा*) के विवरण तैयार कर रहा है। प्राधिकरण ने इन सभी क्रियाकलापों के लिए सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराई है।

राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीएसएस), अजमेर ने भारतीय धनिया (*कोरिएंडर सटाइवम*) के शुद्धिकरण का कार्य किया है तथा राष्ट्रीय औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान केन्द्र, आनंद के साथ डीयूएस विवरण भी विकसित कर लिए हैं और यह अगले वर्ष तक पंजीकरण के लिए तैयार है। केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सीटीसीआरआई), तिरूअनंतपुरम में कसावा (*मेनिहॉट एस्क्यूलेंटा*) तथा शकरकंद (*आइपोमिया बेटाइटिस*) के लिए विवरण तथा डीयूएस परीक्षण की क्रियाविधि विकसित की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड आदि द्वारा नारियल (*कॉकस न्यूसिफेरा*), काजू (*एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल*), कॉफी (*कॉफिया एरेबिका*), रबड़ (*हैविया ब्राजिलेंसिस*) तथा चाय (*कैमेलिया साइनेंसिस*) जैसी रोपण फसलों के विवरणों की पहचान का कार्य इन संस्थाओं के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में किया जा रहा है।

सामान्य पूर्वज का उपयोग करते हुए बाजरा की आरंभिक किस्मों तथा अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (ईडीवी) के साथ विकसित संकरों के आण्विक विभेदों का मूल्यांकन नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आनुवंशिक संभाग में किया गया। कोई सामग्री ईडीवी के रूप में है या अन्य किसी रूप में, इसे स्थापित करने के लिए अन्य अंतराजीन प्रारूप विविधता के आण्विक गुण निर्धारण से संबंधित कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।

पंजीकृत किस्मों के आंकड़ों के रखरखाव के लिए पौधा किस्म रजिस्ट्री द्वारा पौधा किस्मों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर शुरू किया गया।

राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से IINDUS तथा NORV सॉफ़्टवेयर विकसित किए गए। प्रत्याशी तथा संदर्भ किस्मों के डीयूएस वर्णनों से संबंधित सभी अनिवार्य गुणों को इस साफ्टवेयर में शामिल किया गया है। पौधा किस्म रजिस्ट्री में प्राप्त किए गए आवेदनों के आंकड़ों को संरक्षित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा एक अन्य सॉफ्टवेयर, IINDUS वर्जन 8.1 भी विकसित किया गया।

प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2007–08 में प्रतिवेदित 18 कृषि–जैवविविधता वाले हॉट स्पॉट्स की पर्याप्तता की जांच की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया जिसने अब 22 कृषि जैवविविधता वाले हॉट स्पॉट्स को चिन्हित किया है तथा पहले किए गए प्रयासों को और अधिक परिशुद्ध कर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में ऐसे जैव विविधता के संरक्षकों को मान्यता प्रदान करने, प्रोत्साहन देने और पुरस्कृत करने का प्रावधान है जिन्होंने नई किस्मों के विकास में अपनी सामग्री की भागीदारी उपलब्ध कराई है। प्राधिकरण ने आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में इस समुदाय के निःस्वार्थ प्रयासों को मान्यता प्रदान करने के लिए समुदाय श्रेणी में विरही बीज बिनिमॉय केन्द्र, बांकुरा (पश्चिम बंगाल); कुरूचिया और कुरूमा जनजाति समुदाय, वायनाड; कृषक एवं जनजातीय समुदाय रांची (झारखंड) तथा वैयक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत पालकाड (केरल) के एक प्रगतिशील किसान श्री पी. नारायणन उन्नी को सम्मानित किया है।

विभिन्न सार्वजनिक एवं आधिकारिक सूचनाएं तथा कपास और पटसन से संबंधित डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश पौधा किस्म जरनल के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हुए। उल्लेखनीय है कि इस उद्देश्य से इस जरनल को भारत सरकार के राजपत्र के समकक्ष घोषित किया गया है। नई किस्मों और विद्यमान किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े भी पौधा किस्म जरनल के मासिक अंकों में प्रकाशित करके जन–सामान्य के ज्ञान में लाए गए।

निर्धारित समय पर प्राधिकरण की दो बैठकें आयोजित की गईं तथा इनमें कर्मचारियों की नियुक्ति, किस्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क के ढांचे, डीयूएस परीक्षण शुल्क वापस करने के लिए क्रियाविधि तय करने, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय अभिज्ञान सम्मान प्रदान करने, अनुदान सहायता योजनाओं की स्वीकृति तथा प्राधिकरण के सामान्य क्रियाकलापों से संबंधित अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। प्राधिकरण के सुचारू रूप से संचालन के लिए इसके अध्यक्ष ने वैज्ञानिक सलाहकार समिति तथा कार्यक्रम नियोजन एवं नीति समिति का भी गठन किया। प्राधिकरण द्वारा देश के विभिन्न भागों में एक या दो दिन की अनेक लोकप्रियकरण बैठकें आयोजित की गईं। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत योग्य व्यक्तियों, बीज एजेंसियों आदि के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। मास मीडिया, व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रमों, प्रशिक्षण शिविरों, द्विभाषी लेखों के प्रकाशन, टीवी/रेडियो वार्ताओं तथा किसानों मेलों जैसे साधनों का उपयोग करके पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब) में (उत्तर भारत हेतु) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण एवं प्रशिक्षण पर अनुसंधान के लिए केन्द्र की स्थापना की गई है। 'पौधा किस्मों की सुरक्षा – प्रक्रियाएं तथा क्रियाविधियां' शीर्षक से बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी मुद्दों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 23–26 फरवरी 2009 को फार्म एवं ग्रामीण विज्ञान फाउंडेशन, हैदराबाद के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

वर्ष 2008–09 के दौरान पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का कुल बजट प्रावधान 700 लाख रुपये था। प्राधिकरण ने इस बजट का उपयोग आवर्ती और अनावर्ती व्ययों, डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को सबल बनाने, फसलों के लिए परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा कंसल्टेंसी आदि के रूप में किया।

वर्ष 2008–09 के दौरान आवेदन प्रभार के रूप में कुल 92,200.00 रुपये की राशि एकत्र की गई जो प्राधिकरण निधि में जमा कराई गई और इस प्रकार 31 मार्च 2009 तक कुल राशि 2,38,47,223.70 रुपये हो गई। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 5,53,84,975.30 रुपये की राशि का उपयोग किया।